न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 48 / 2019

1 पतासी पत्नी मालाराम।
2 विरेन्द्र पुत्र मालाराम।
3 हंसराम पुत्र मालाराम।
4 कृष्णा पुत्री मालाराम समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ढ़ाणी भरगड़ा ग्राम गोठड़ा तहसील खेतडी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 भाताराम पुत्र थानाराम जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी भरगड़ा ग्राम गोठड़ा तहसील खेतडी जिला झुंझुनू।
2 राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 30.05.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी प्रकरण शीर्षक भाताराम बनाम पतासी वगैरह प्रकरण संख्या 192 / 2018 आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री आनन्दीलाल सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शीशराम सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
2
सत्यमेव जयते
सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 06.04.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 192/2018 में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत खसरा नम्बर 630, 631, 626 में से रास्ते की मांग की विचारण न्यायालय में बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 631 का स्वामित्व का वाद पृथक से विचाराधीन है इसके निर्णय से पूर्व इस भूमि में से धारा 251 ए तहत रास्ता नहीं दिया जा सकता है। आवेदक के पास पूर्व से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। विचारण न्यायालय में आवेदक ने किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। धारा 251 ए में स्पष्ट प्रावधान है कि मौका रिपोर्ट आई एल आर से निचे के स्तर की मान्य नहीं की जायेगी। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट पटवारी द्वारा तैयार की गई है। इस मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर आर डी 2017 पेज 734, आर आर टी 2018—19 पेज 576 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट ने मौका रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना कर उभयपक्ष को सुनकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर आर टी 2018–19 पेज 342 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 631 का स्वामित्व का वाद पृथक से विचाराधीन है इसके निर्णय से पूर्व इस भूमि में से धारा 251 ए तहत रास्ता नहीं दिया जा सकता है। विचारण न्यायालय में आवेदक ने किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। धारा 251 ए में स्पष्ट प्रावधान है कि मौका रिपोर्ट आई एल आर से निचे के स्तर की मान्य नहीं की जायेगी। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट पटवारी द्वारा तैयार की गई है। स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में नियम 69 की पालना नहीं की गई है। इस मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को नियम 69 की पालना में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.04.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर